मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय

प्रपत्र – "अ" – ①

आदेश

भोपाल, दिनांक 31/03/2011

क्रमांक एफ–22/46/10/पी–1/31– समसंख्यक आदेश दिनांक 6.10.2010 द्वारा जिला सेक्टर के जल संसाधन संबंधी कार्यों के लिए जिला कलेक्टर के प्रशासनिक नियंत्रण में जिला मुख्यालय पर जल संसाधन विभाग के एक पूर्णकालिक उप संभागीय कार्यालय की व्यवस्था की गई है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से परामर्श पश्चात इस आदेश में नीचे दर्शाए अनुसार संशोधन किया जाता है।

2 जिला सेक्टर के जल संसाधन संबंधी कार्यों के संबंध में निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं :–

(i) दिनांक 06.10.2010 अथवा उसके पूर्व जिला सेक्टर से स्वीकृत ऐसे कार्य जिनमें निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुके थे, को जल संसाधन विभाग के संबंधित संभागीय कार्यपालन यंत्री द्वारा पूर्ण कराया जाएगा। यदि कार्य प्रारंभ ही नहीं किये गये है तो राशि लौटायी जावे।

(ii) दिनांक 06.10.2010 से 31.03.2011 के मध्य यदि कोई कार्य जिला सेक्टर से स्वीकृत हुये हों और उनमें कोई कार्य प्रारंभ किया गया हो तो उनकी सूची शासन को भेजकर पृथक से अनुमति प्राप्त की जाए।

(iii) जिला सेक्टर में जल संसाधन कार्यों के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को पृथक से अमला उपलब्ध कराया जाऐगा। इस हेतु पृथक से आदेश प्रसारित किये जा रहे हैं।

(iv) भविष्य में जल संसाधन विभाग के संभागीय कार्यपालन यंत्री जिला सेक्टर के केवल उन कार्यों को ले सकेगा जिनकी प्रशासकीय स्वीकृति शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में गठित स्थाई वित्त समिति की बैठक की अनुशंसा उपरांत शासन स्तर से जारी की गई हो। जिन कार्यों के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति जारी नहीं की गई हो उन्हें जिला स्तर पर सीधे संभागीय कार्यपालन यंत्री स्वीकार नहीं कर सकेगा।

3. संबंधित कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग यह सुनिश्चित करें कि दिनांक 06.10.2010 की स्थिति में जिला सेक्टर के निर्माणाधीन सभी कार्य एक अभियान चलाकर दिनांक 30 जून, 2011 तक पूर्ण करा दिए जाएँ और उनका पूर्णता प्रमाण पत्र संबंधित स्वीकृतकर्ता अधिकारी को उपलब्ध कराया जाए।

4. यह आदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के परामर्श से उनके संदर्भित पृष्ठांकन क्रमांक 18/22/वि-3/ग्रायांसे/11 भोपाल, दिनांक 28.03.2011 के संदर्भ में जारी किये जा रहे हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

31.03.11

(राधेश्याम जुलानिया)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
जल संसाधन विभाग

एफ 22/46/10/पी-1/2011 [01] भोपाल, दिनांक 31/03/2011

पृ. क्रमांक [illegible] [02] भोपाल, दिनांक 31/03/2011

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव माननीय मंत्री म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग,
2. निज सचिव माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को कल दिनांक 16.3.2011 को मा.मंत्रीजी, जल संसाधन एवं मा. मंत्रीजी ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ली गई संयुक्त बैठक में लिए गए निर्णय के पालन में सूचनार्थ।
4. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
5. परियोजना संचालक, विश्व बैंक परियोजनाएं, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
6. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
7. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
8. मुख्य अभियंता, बोधी, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मनरेगा भोपाल।
10. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
11. समस्त मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश।
12. मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा भोपाल।
13. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मा. मंत्रीजी, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
14. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मा.मंत्रीजी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल।
15. स्टाफ आफिसर, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
16. संचालक, डाटा सेन्टर, भोपाल को निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रविष्टि तत्काल विभाग की वेबसाइट पर कराएं।
17. स्टॉक पंजी।

31.03.11

प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
जल संसाधन विभाग